मत्स्य निदेशालय
आफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक–ए, बेली रोड, बिहार, पटना

पत्र सं0–म0/गो0शि0आ0रा0– 01/2017 – 98 मत्स्य/पटना, दिनांक – 16/1/18

कार्यालय आदेश

श्री एकबाल हुसैन जब जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा के पद पर पदस्थापित थे तो इनके विरूद्ध सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के आरोप प्राप्त हुए।

2. प्राप्त आरोप के प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के कारण श्री हुसैन को निदेशालय पत्रांक 278 दिनांक 07.03.2017 द्वारा निलम्बित किया गया एवं निदेशालय पत्रांक 654 दिनांक 06.06.2017 द्वारा प्रपत्र–'क' गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गई। आरोप के मुख्य बिन्दु निम्न थेः–

आरोप सं0–01– *आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा कनीय अभियंता/ क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक से योजना स्थल पर किए गए कार्य का विधिवत चरणबद्ध फोटोग्राफ बिना प्राप्त किए 15 जून से 15 अक्टूबर के समय जो विभागीय प्रावधान के अनुसार मिट्टी कार्य हेतु उपयोगिता प्रतिवेदित प्रेषित कर देना एवं पुनः तृतीय किस्त राशि भुगतान हेतु भी बिना किसी कार्य प्रगति का फोटोग्राफ प्राप्त किए तथा कनीय अभियंता अथवा मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक से कार्य प्रगति से संबंधित स्थल जाँच प्रतिवेदन के बिना ही उपयोगिता प्रतिवेदन भेज दिया गया है जा आपके कर्त्तव्य एवं लापरवाही प्रशासनिक चूक का द्योतक है।*

आरोप सं0–02– *विभागीय राज्यादेश सं0– 2820 दिनांक 14.09.2016 द्वारा कार्यान्वित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति योजना में श्री गोपाल पासवान के द्वारा समर्पित आवेदन से स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार के लोगों को गलत वार्षिक आय दिखाकर वाहन वितरण हेतु लाभुक का चयन किया गया है जो विभागीय नियमों का उल्लंघन है।*

आरोप सं0– 03– *सिमरी बख्तियारपुर अंचल के जलकरों की बंदोबस्ती मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ वर्ष 2012–13 से 2018–19 तक सुरक्षित जमा पर की गई। अंचल अधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा – बख्तियारपुर, थाना– 64 खाता– 391, खेसरा– 2883 रैयती है जिसे सैरात से हटाने की कार्रवाई की जा रही है परन्तु आरोपी पदाधिकारी के द्वारा बिना उच्चाधिकारी के आदेश प्राप्त किए बिना तथा समिति से कारण पृच्छा किए बिना ही बंदोबस्ती स्थगित कर दी गई। बिना सक्षम प्राधिकार के जलकर को सैरात सूची से हटाए बिना इसे बंदोबस्ती से मुक्त करना सरकारी राजस्व की क्षति का मामला है।*

3. प्रपत्र– 'क' में गठित आरोप के विरूद्ध श्री हुसैन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं श्री हुसैन के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम– 17 के तहत निदेशालय आदेशांक 917 दिनांक 20.07.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा श्री सुमन कुमार, उप मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0), मत्स्य निदेशालय, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री हुसैन के विरूद्ध राजस्व क्षति अथवा अनुदान विमुक्ति में अनियमितता का कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया परन्तु बिना स्थल निरीक्षण तथा बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के ऋण विमुक्ति करने तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कपरफोड़वा जलकर की बंदोबस्ती स्थगित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर श्री हुसैन से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम– 18(3) के तहत निदेशालय पत्रांक 1650 दिनांक 08.12.2017 द्वारा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गई।

6. श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 11.12.2017 को समर्पित लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई तथा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) को अस्वीकार योग्य पाया गया।

7. श्री एकबाल हुसैन तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति निलम्बित, उप मत्स्य निदेशक, मगध परिक्षेत्र, गया के विरूद्ध सरकारी योजना के कार्यान्वयन में विफलता तथा प्रशासनिक विफलता का अरोप प्रमाणित पाए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम– 14 के आलोक में एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित करते हुए निलम्बन से मुक्त किया जाता है एवं विभागीय कार्रवाई समाप्त की जाती है।

8. निलम्बन से मुक्ति के उपरांत श्री हुसैन पदस्थापन की प्रतीक्षा में मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान देंगे।

16/1

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 98 पटना / दिनांक 16/1/18

प्रतिलिपिः श्री एकबाल हुसैन तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति उप मत्स्य निदेशक कार्यालय, मगध परिक्षेत्र, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/1

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 98 पटना / दिनांक 16/1/18

प्रतिलिपिः– परिक्षेत्रीय उपमत्स्य निदेशक, सभी / जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/1

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 98 पटना / दिनांक 16/1/18

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

16/1

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।